0361-2968012 (गुवाहाटी फ्रांटियर मुख्यालय)

संख्या गुवा०/स्थापना(भर्ती)/0660/2021/933

पंजीकृत डाक द्वारा फ्रांटियर मुख्यालय, गुवाहाटी सीमा सुरक्षा बल पटगांव, आसाम-781017

Roll No.	1:	5102004041
Name	1	SUJIT KUMAR PANDIT
S/O	1	KAMESWAR PANDIT
Address	:	VILL- MAKUM SANKAR DEV NAGAR, PO- MAKUM, PS- MAKUM, DIST- TINSUKIA, ASSAM, PINCODE 786170

सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर अस्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव।

PROVISONAL OFFER OF APPOINTMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GENERAL **DUTY) IN BSF**

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) पद की भर्ती के लिए आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन (एआर) (जीडी) परीक्षा- 2018 में आप अस्थायी (प्रोविजिनल) चयनित होने तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आपको सीमा सुरक्षा बल आवंटित करने के परिणामस्वरूप आपको सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर वेतनमान 21700-69100 पर अस्थायी (प्रोविजिनल) नियुक्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर दिया जाता है:-

I have been directed to inform you that, consequent upon your provisional selection in the Central Armed Police Forces (CAPFs), NIA & SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles (AR) Examination- 2018, organized by Staff Selection Commission (SSC), for the recruitment to the post of Constable (General Duty), you have been allocated to Border Security Force (BSF) by the SSC. A provisional offer of appointment for the post of Constable (GD) in BSF in pay scale Rs.21700-69100, is hereby proposed, on following conditions:-

- उपरोक्त पद पर आपकी अस्थायी नियुक्ति निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी:-Your provisional appointment to the above post will be subject to following terms and conditions:-
 - आप समय--समय पर यथासंशोधित सीमा सुरक्षा बल अधिनियम-- 1968 तथा सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 और बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्र सरकार के अन्य नियमों एवं अधिनियमों से शासित होंगे। जहां तक पेंशन का मामला है, आप जनवरी-2004 से निर्धारित अनुबंध केन्द्रीय सरकार की सेवा के नए प्रवेशकों के लिए लागू नई पुर्नगठन अंशदायी पेंशन योजना के लाम के हकदार होंगे। नई पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्ति की तारीख से आप मूल वेतन तथा डी०ए० का 10 प्रतिशत प्रतिमाह योगदान करेंगे।

You will be governed by the provisions of BSF Act-1968 and BSF Rules-1969 as amended from time to time and other Central Government Orders, Rules and Regulations as applicable to other member of the Force. So far as pension is concerned you will be entitled the pensionery benefits as per new restructured 'DEFINED CONTRIBUTORY PENSION SYSTEM' applicable for the new entrants to the Central Govt. service from Jan, 2004. Therefore, you would make monthly contribution of @ 10% of the Basic pay and DA towards

the new pension system from the date of appointment. प्रारम्भ में आप दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जो कि केवल असाधारण कारणों पर एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं बढाया जा सकता है। परिवीक्षा काल में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुसार यदि आप किसी भी कारणवश आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में बल का एक कुशल सदस्य होने की संभावना नहीं रखते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। Initially, you will be on probation for a period of two years, which may not be extended for more than a duration of one year on exceptional reasons only. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Force due to any reason, your service can be terminated without assigning any reason or without any advance notice.

